मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक, अप्रैल.......2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 25–17/2008/10–2 : मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 को पूर्णतः प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होनाः–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक वानिकी (निजी वानिकी का प्रबंधन) नियम 2011 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम ऐसे निजी और राजस्व क्षेत्रों को लागू होंगे, जिनका यथा स्थिति, भूमि स्वामी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप मे स्वेच्छिक रूप से प्रबंध किया जाना आशयित है।

2. **परिभाषांएः–** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, लोक वानिकी अधिनियम 2001, (क्रमांक 10 सन् 2001) ;

(ख) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रेदश भू–राजस्व संहिता, 1959(क्रमांक 20 सन् 1959) ;

(ग) 'वन मंडल अधिकारी' से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले वन मंडल अधिकारी ;

(घ) 'वन क्षेत्रपाल' से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला वन परिक्षेत्र अधिकारी ;

(ड़) 'ग्राम सभा' तथा 'ग्राम पंचायत' का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में उनके लिये दिया गया है ;

(च) 'लोक वन' से अभिप्रेत है राजस्व भूमि का कोई भाग, जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रयोजन के लिए वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में हस्तांतरित किया गया हो और जिसके लिए इन नियमों के उपबंधों के अधीन योजना तैयार की गई हो ;

(छ) "राजस्व अधिकारी" से अभिप्रेत है संहिता में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा राजस्व अधिकारी जो उपखण्ड अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(ज) 'प्रबंधन योजना' से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन किसी राजस्व या निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के लिए तैयार की गई वैज्ञानिक योजना।

3. प्रबंधन योजना का तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना

(1) कोई भूमिस्वामी जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के प्रबंधन का जिम्मा लेना चाहता हो, वनमंडल अधिकारी को ऐसे क्षेत्रों के लिये तैयार की गई प्रबंधन योजना की मंजूरी के लिए प्ररूप–एक में आवेदन, प्रबंधन योजना की पाँच प्रतियों के साथ, जिन्हे भूमिस्वामी द्वारा अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को नियोजित कर तैयार कराया गया हो, प्रस्तुत करेगा। प्रबंधन योजना को इन नियमों में संलग्न अनुसूची–एक में उपबंधित प्ररूप के अनुसार तैयार किया जायगा।

(2) यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम सभा किसी वृक्ष आच्छादित राजस्व भूमि पर जो उसके क्षेत्राधिकार में अवस्थित है के प्रबंधन का जिम्मा लेना चाहती है तो वह अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक आवेदन, ऐसे क्षेत्र के लिये तैयार की गई प्रबंधन योजना की मंजूरी के लिये ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के संकल्प के साथ वनमड़ंल अधिकारी को प्ररुप–दो में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा किसी व्यक्ति को अपने विवेक से नियोजित कर तैयार किये गये प्रबंधन योजना की 5 प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा। प्रबधंन योजना को इन नियमों में संलग्न अनुसूची–एक में उपबंधित किये गये प्ररुप के अनुसार तैयार किया जायेगा।

(3) वनमंडल अधिकारी प्रबधंन योजना को मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा। ऐसे मामले में, जहाँ प्रबधंन योजना क्षेत्र 10 हेक्टर या उससे अधिक है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी, प्रबधंन योजना के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर प्रबधंन योजना को अपने मत के साथ, राज्य सरकार के माध्यम से अनुमोदन हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा, अथवा आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर सूचित करेगा।

(4) उपनियम (1) तथा (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के साथ भूमि के स्वामित्व या भूमि का कब्जा, जैसी भी दशा हो, के बारे में घोषणा के साथ संबधित अभिलेख संलग्न किया जाएगा, जो कि मूल रुप से राजस्व विभाग के संबधित अधिकारी, जो कि नायब तहसीलदार से निम्न पद श्रेणी का ना हो, से सम्यक रुप से मूल में हस्ताक्षरित होगा। वनमंडल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने संतोष के लिये स्वामित्व या कब्जे के दावों को सत्यापित करा ले।

(5) सक्षम प्राधिकारी को प्रबधंन योजना में दिये गये किन्हीं उपचारों की मान्यता को सत्यापित करने के लिये स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से योजना क्षेत्र के निरीक्षण करने की शक्ति होगी। ऐसी कार्यवाही के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित प्रबधंन योजना में संशोधन का सुझाव दे सकेगा। ऐसी दशा में, आवेदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाये गये संशोधनो को समेकित करते हुये पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करेगा।

(6) वन विभाग से स्वामित्व या कब्जे के दावों के सत्यापन हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारी वन मंडलाधिकारी को 30 दिवस के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन प्रेषित करेगा। 30 दिवस में प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर यह माना जायेगा कि राजस्व अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है, तथा भविष्य में कोई विसंगति पाये जाने पर उक्त अध्किारी उत्तरदायी होगा।

(7) प्रबंधन योजना क्षेत्र 10 हेक्टर से कम होने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी प्रबधंन योजना को मंजूरी देने के संबंध में निर्णय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर करेगा। अथवा, आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर संसूचित करेगा। अन्यथा प्रबंधन योजना को मंजूर किया गया समझा जायेगा। आपत्ति संसूचित करने की तिथी से आपत्ति का निराकरण प्राप्त होने की अवधि को उक्त 60 दिवस की समयावधि में सम्मिलित नहीं माना जाएगा।

(8) उस दशा में जहाँ प्रबंधन क्षेत्र 10 हेक्टर या उससे अधिक हो, सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, जैसा कि उप नियम (3) द्वारा अपेक्षित है, 15 दिनों के भीतर प्रबधंन योजना के स्वीकृति का आदेश जारी करेगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी निजी क्षेत्र की प्रबंध योजना हेतु प्ररुप–तीन में, तथा लोक वन के लिये प्ररुप–चार में प्रबंधन योजना की मंजूरी का आदेश पारित करेगा। प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की शर्तें, मंजूरी आदेश की अनुसूची दो/तीन में विर्निदिष्ट की जा सकेंगी। मंजूरी आदेश के साथ वन विभाग द्वारा प्रबंधन क्षेत्र का जी.पी.एस. उपकरण की सहायता से तैयार किया गया प्रबंध योजना के क्षेत्र का डिजीटल मानचित्र, तथा निर्धारित प्रारुप में बही संलग्न की जायेगी।

(10) प्रबंधन योजना मंजूर हो जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी मंजूर की गई योजना की प्रति, मंजूरी आदेश के साथ सबंधित भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, जैसी भी दशा हो, को भेजेगा। मंजूरी आदेश की प्रति, मंजूर की गई प्रबंधन योजना के साथ राजस्व अधिकारी को सूचनार्थ तथा संहिता की धारा 114–(क) की उपधारा (2) के अधीन भू–अभिलेख में प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये अग्रेषित करेगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 में अपेक्षित है।

(11) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंधन योजना को मंजूर ना करने की दशा में, वह नामंजूरी के कारणों को अभिलिखित करते हुये आवेदक को संसूचित करेगा।

(12) उप नियम (11) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध क्षेत्राधिकार रखने वाले संबधित वन वृत्त के प्रभारी अधिकारी को अपील की जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील उपनियम (11) के अधीन आदेश प्राप्त होंने के 30 दिनों के भीतर की जा सकेगी। अपीलीय प्राधिकारी संबधित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् 60 दिनों के भीतर अपील विनिश्चित करेगा। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा। आवेदक को निर्णय लिखित में संसूचित किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भी अग्रेषित की जावेगी।

4. **प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन :–**

(1) प्रत्येक भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, जैसी भी दशा हो, सक्षम प्राधिकारी से प्रबंधन योजना के मंजूर होने के पश्चात् उसमें विहित उपचारों तथा शर्तो के अनुसार प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन करेगा।

(2) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ग्राम सभा की "सार्वजनिक संपदा समिति" को योजना के कार्यान्वयन के लिये तथा "लोक वन" के विधानों के क्रियान्वयन के लिये प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्रामसभा, जैसी भी दशा हो, प्रबंध योजना के क्षेत्र को मौके पर राजस्व क्षेत्रों हेतु निर्धारित माप के सुस्पष्ट एवं स्थायी मुनारों से सीमांकित करेगा।

(4) भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, जैसी भी दशा हो, योजना क्षेत्र में पेड़ो की कटाई की प्रस्तावित तारीख के संबध में वन क्षेत्रपाल तथा तहसीलदार को सूचना देगा। यह सूचना वृक्षों की कटाई की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

(5) प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति, ग्राम पंचायत या ग्रामसभा, जैसी भी दशा हो, द्वारा काट कर गिराये जाने वाले वृक्षों का रजिस्टर यथा विहित प्ररुप में रखा जावेगा।

(6) वृक्षों की कटाई से प्राप्त वन उपज को अनुमोदित किये गये प्रबंधन योजना के अनुसार परिवहन किया जायेगा तथा मध्य प्रदेश अभिवहन (वन–उपज) नियम, 2000 के उपबंधो के अधीन होगा।

(7) मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज के रूप में घोषित वन उपज का व्ययन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन होगा।

(8) प्रबंधन योजना में विहित समस्त संक्रियाएं विनिर्दिष्ट समय में पूर्ण की जाएंगी। यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किन्हीं अकल्पित कारणों से निष्पादित नहीं होती है, तो योजना का आगामी क्रियान्वयन ऐसे समय तक, जब तक कि पूर्व वर्ष के लिये विहित संक्रियाएं पूर्ण नही हो जातीं, निलंबित रहेगा।

5. प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन का मानीटर किया जाना :–

(1) प्रत्येक विकास खण्ड़ अथवा उसके किसी भाग के लिये अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन को वन क्षेत्रपाल की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जायेगा तथा उसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथास्थिति, किसी ग्राम पंचायत या किसी ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ट होगा। समिति, सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका–टिप्पणियों तथा सिफारिशों की रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार जब भी आवश्यक समझें, किसी भी पदधारी, निकाय या अभिकरण को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या कालावधि के लिये ऐसी योजना के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) वनमंडल अधिकारी रिपोर्ट किये गये किसी उल्लघंन का संज्ञान लेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर वनमंडलाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियम–6 में यथा उपबंधित आगे कार्यवाही करने के लिये मामले को राजस्व अधिकारी को निदेर्शित करेगा।

6. उल्लघंन के लिये दण्ड़ :–

(1) राजस्व अधिकारी, अनुमोदित प्रबंधन योजना के ऐसे उल्लंघन के संबंध में वन क्षेत्रपाल/सक्षम प्राधिकारी, या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, यथास्थिति, संबधित भूमि स्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को कारण बताओ सूचना जारी करेगा और सूचना का जवाब फाइल करने के लिये युक्तियुक्त समय देगा।

(2) यदि, यथास्थिति, संबंधित भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, कारण बताओ सूचना का जवाब, विनिर्दिष्ट समय–सीमा में प्रस्तुत करने में असफल रहती है या कारण बताओ सूचना के जवाब पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् राजस्व अधिकारी मामले का विनिश्चय, अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार 30 (तीस) दिन की कालावधि के भीतर कर सकेगा।

(7) अपील :–

(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिये अपील प्राधिकारी, जिला कलेक्टर होगा।

(2) अपील के लिये आवेदन पत्र, कलेक्टर के प्रवाचक (रीडर) द्वारा प्राप्त किया जायेगा और संहिता मे अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रत्येक अपील के साथ राजस्व अधिकारी के उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के साथ मामले के सुसंगत दस्तावेज तथा कोषालय

चालान या मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से देय रु 100/– की फीस, जो वापसी योग्य नही होगी, संलग्न होगी।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को स्वयं या आवेदक द्वारा लिखित में सम्यक रुप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से सुनेगा और आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अपील का विनिश्चिय करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रतियाँ, अनुपालन के लिए या ऐसे और आदेश पारित किये जाने के लिये, जैसा कि अपील प्राधिकारी द्वारा निदेर्शित किया जाये, राजस्व अधिकारी को भेजी जायेगी।

(8) निरसन और व्यावृत्तियांः–

इन नियमों के प्रभावशील होने की तिथि से पूर्व मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 के अंतर्गत की गई समस्त वैधानिक कार्यवाही इस प्रकार की गई मानी जाएगी जैसे कि वह इन नियमों के अंतर्गत की गई।

––––––0––––––